

IPS Officer Y. Puran Kumar's Death: Allegations of Caste Bias and Harassment



पृष्ठभूमि

- **वाई. पुरन कुमार (52)** – 2001 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, सुनारिया-रोहतक में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर तैनात थे।
- मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर गोली लगने से मृत पाए गए।
- अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित थे।

आरोप

8 पन्नों के एक नोट में, जिसका शीर्षक था —

“अगस्त 2020 से अब तक हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर, खुलेआम जातिवादी भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार, जो अब असहनीय हो गए हैं।”

उन्होंने आरोप लगाया कि:

- वरिष्ठ सहकर्मियों द्वारा जाति-आधारित भेदभाव और लक्षित मानसिक उत्पीड़न किया गया।
- मंदिर जाने पर उन्हें तंग किया गया।
- अवकाश (लीव) नहीं दी गई, जिससे वे अपने पिता से मृत्यु से पहले नहीं मिल सके।
- उन्हें “अस्तित्वहीन पदों” पर भेजा गया और झूठी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं।
उन्होंने कहा कि बार-बार की गई शिकायतों को “नज़रअंदाज़, दुरुपयोग और प्रतिशोधी ढंग से” निपटाया गया।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण

पेपर – 1 दृष्टिकोण

1. एमिल दुर्खीम – आत्महत्या सिद्धांत

मानसिक स्वास्थ्य और सिविल सर्विसेज़ में संरचनात्मक दबाव

- यह घटना दुर्खीम के “आत्महत्या” सिद्धांत के अहंमुखी (Egoistic) और अराजक (Anomic) रूप को दर्शाती है — सामाजिक अलगाव और मानदंडों के टूटने से उत्पन्न निराशा।
- अत्यधिक तनावपूर्ण और पदानुक्रमित संस्थानों में कमजोर सहायक तंत्र मानसिक असुरक्षा पैदा करते हैं।
- संस्थागत सहानुभूति की कमी वैध शिकायतों को निराशा में बदल देती है।

2. नौकरशाही और शक्ति — वेबरी दृष्टिकोण

- वेबर के अनुसार आदर्श नौकरशाही तार्किक-कानूनी अधिकार और निष्पक्ष नियमों पर आधारित होती है।
→ परंतु यह मामला “पितृसत्तात्मक विकृतियों” का उदाहरण है — जहाँ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और अनौपचारिक नेटवर्क औपचारिक तर्कशीलता पर हावी हो गए।
- रॉबर्ट मर्टन की नौकरशाही की विकृतियाँ — कठोरता, प्रशिक्षणजन्य अक्षमता, लक्ष्य का विस्थापन — यह बताती हैं कि नियमों (जैसे अवकाश अस्वीकृति, दंडात्मक पोस्टिंग) का उपयोग निष्पक्षता के बजाय उत्पीड़न के लिए किया गया।

3. विचलन और लेबलिंग सिद्धांत

- हॉवर्ड बेकर के लेबलिंग सिद्धांत के अनुसार — जब किसी हाशिए के वर्ग से आने वाले व्यक्ति को “समस्याग्रस्त” या “अयोग्य” का लेबल दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध भी विचलन (deviance) समझा जाता है।
→ उनकी शिकायतों को भी “अवज्ञा” के रूप में देखा गया, न कि “शिकायत” के रूप में — यह लेबलिंग का चक्र है।

4. कार्यस्थल पर अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य

- मार्क्स की वियोजन (Alienation) की अवधारणा औद्योगिक श्रम से परे भी लागू होती है:
 - कार्य से वियोजन: सेवा प्रेरणा के स्थान पर उत्पीड़न।
 - स्वयं से वियोजन: गरिमा का हास और मानसिक टूटन।
- नौकरशाही पदानुक्रम + जातिगत पूर्वाग्रह → अहंमुखी अलगाव को जन्म देता है — जो दुर्खीम के अराजक आत्महत्या का ही रूप है।

5. सामाजिक स्तरीकरण (Stratification)

• **मैक्स वेबर:**

- औपचारिक बनाम वास्तविक तर्कशीलता: भारतीय पुलिस सेवा औपचारिक तर्कशीलता पर आधारित होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ जातिगत पूर्वाग्रह और निजी दुश्मनी ने उसे प्रतिस्थापित कर दिया।
- वर्ग, प्रतिष्ठा, और सत्ता: पुरन कुमार के पास वर्ग (IG का पद) और सत्ता (राज्यिक अधिकार) तो थे, परंतु उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा (status) नहीं मिली — जाति के कारण यह अंतर्विरोध उन्हें मानसिक रूप से तोड़ गया।

विभिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों से विश्लेषण

| दृष्टिकोण | प्रसंग में व्याख्या |
|--|---|
| संरचनात्मक कार्यात्मकतावाद (Structural Functionalism) | नौकरशाही का उद्देश्य निष्पक्षता और दक्षता है, परंतु जब जातिगत पूर्वाग्रह इसे विकृत करता है, तो संस्थागत विश्वास और सामाजिक एकता कमजोर होती है। |
| संघर्ष सिद्धांत (Conflict Theory) | यह घटना दिखाती है कि कैसे नौकरशाही संरचना जातिगत सत्ता-संबंधों को पुनरुत्पादित करती है, जहाँ प्रभुत्वशाली समूह अधिकार, पद और प्रतिष्ठा पर नियंत्रण रखता है। |
| प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद (Symbolic Interactionism) | रोज़मर्रा की बातचीत में अपमान, बहिष्कार और अनादर के प्रतीकात्मक व्यवहार से जातिगत हीनता को पुनःसृजित किया जाता है। |
| वेबरी विश्लेषण | यह मामला तार्किक-कानूनी अधिकार के विघटन को दर्शाता है — निर्णय “जाति आधारित” बन गए, जिससे नौकरशाही “नव-पारंपरिक व्यवस्था” में बदल गई। |

पेपर – 2 दृष्टिकोण

1. जाति प्रणाली

• **सुरिंदर एस. जोधका:**

- उन्होंने बताया कि आधुनिक भारत में जाति “शुद्धता” से नहीं बल्कि “शक्ति और बहिष्कार” के नेटवर्क से चलती है।

- यह मामला दर्शाता है कि आधुनिक संस्थानों में भी जाति शक्ति का उपकरण बन गई है।
- **गोपाल गुरु और सुंदर सरुक्कई:**
 - The Cracked Mirror में उन्होंने “आंतरिक बहिष्कार (Internal Exclusion)” की बात की — दलित अधिकारी संस्थानों के भीतर तो हैं, पर सामाजिक रूप से बाहर कर दिए जाते हैं।
 - पुरन कुमार का अनुभव इसी का प्रतीक है — उन्हें समानता नहीं, बल्कि अलगाव और मानसिक उत्पीड़न मिला।
- **लुई ड्यूमों (Louis Dumont):**
 - Homo Hierarchicus vs. Homo Equalis — आधुनिक नौकरशाही में “समानता” का आदर्श (Homo Equalis) है, पर वास्तविकता में “शुद्ध-अशुद्ध” की पदानुक्रम (Homo Hierarchicus) कायम है।
 - यह मामला उसी टकराव को उजागर करता है।
- **एम.एन. श्रीनिवास:**
 - Dominant Caste: नौकरशाही में प्रभावशाली जाति समूह अपनी शक्ति और नेटवर्क से अनुसूचित जाति अधिकारियों को हाशिए पर धकेलते हैं।
 - संस्कृतिकरण बनाम पश्चिमीकरण: मंदिर जाने पर मिली सजा दर्शाती है कि उच्च जातियों के धार्मिक प्रतीकों को अपनाने (संस्कृतिकरण) की कोशिश को भी दंडित किया जाता है — जाति सीमाएँ आज भी कठोर हैं।

2. नौकरशाही में जाति और योग्यता का मिथक

- आंद्रे बेटाइल और श्रीनिवास के अध्ययन बताते हैं कि आधुनिक संस्थान भी जातिगत नेटवर्क से प्रभावित रहते हैं।
- आईपीएस जैसी मेरिट-आधारित सेवा में भी जातिगत एकजुटता और संस्थागत भेदभाव जारी है।
- सुहास पलशीकर और आनंद तेलतुंबडे इसे “संस्थागत अस्पृश्यता” कहते हैं — जहाँ भेदभाव नियमों के ज़रिए किया जाता है, अपशब्दों से नहीं।

- छुट्टी से वंचित करना, अनुचित पोस्टिंग, सार्वजनिक अपमान — ये सभी संरचनात्मक हिंसा (Structural Violence, Johan Galtung) के रूप हैं।

3. सामाजिक न्याय और संस्थागत प्रतिक्रिया

- यह घटना संवैधानिक नैतिकता (Ambedkar) और प्रशासनिक व्यवहार के बीच की खाई दिखाती है।
- आंबेडकर ने कहा था कि जब तक “सामाजिक लोकतंत्र” संस्थानों में नहीं आता, “राजनीतिक लोकतंत्र” खोखला रहेगा।
- वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता इसी सामाजिक लोकतंत्र की असफलता का प्रमाण है।

4. अनुसूचित जाति और जनजाति मुद्दे

- डॉ. बी. आर. आंबेडकर:
 - उन्होंने चेताया था कि यदि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व संस्थानों में न आएँ तो भारतीय लोकतंत्र “औपचारिक” बनकर रह जाएगा।
 - पुरन कुमार की “सार्वजनिक अपमान” और “समान व्यवहार की माँग” — यह उनके गरिमा (Dignity) के लिए पुकार है, जो आंबेडकर दर्शन का केंद्रीय तत्व है।
- सुरज येगडे (Caste Matters):
 - उन्होंने दिखाया कि दलित जब उच्च संस्थानों में पहुँचते हैं, तो उन्हें अलगाव, संदेह और मानसिक शोषण झेलना पड़ता है — यह मामला उसी मनोवैज्ञानिक यातना का प्रमाण है।

“YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT”

5. सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियाँ

- संवैधानिक सुरक्षा (अनुच्छेद 14, 15, 16), एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, और आरक्षण नीति के बावजूद, पुरन कुमार का अनुभव दिखाता है कि “कानूनी उपाय” पर्याप्त नहीं हैं।
- शिकायत निवारण तंत्र पूरी तरह विफल रहा — यह संस्थागत पक्षपात की गहरी जड़ें दिखाता है।

निष्कर्ष

वाई. पुरन कुमार की मृत्यु केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि एक **समाजशास्त्रीय लक्षण (Sociological Symptom)** है — यह दिखाती है कि उपलब्धि-आधारित संस्थानों में भी जातिगत असमानता जीवित है।

यह घटना हमें याद दिलाती है कि—

- **संवैधानिक नैतिकता (Ambedkar)** को नौकरशाही संस्कृति में पुनः स्थापित करना आवश्यक है।
- **समानता और मानसिक स्वास्थ्य** के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करना होगा।
- **जातिगत भेदभाव को व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संरचनात्मक हिंसा** के रूप में स्वीकार करना होगा।



MENTORA IAS

“YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT”